पैसा लेकर घर से उठेगा कूड़ा, सड़क पर फेंका तो जुर्माना

पटना | राकेशधारी

घरों से कूड़ा उठाने की योजना का अधिक दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पैसा लेकर घरों से कूड़ा उठाया जाएगा। सड़क पर कूड़ा-कचरा फेंकने वालों से जुर्माना लिया जाएगा। 29 जून को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा।

शहर के उपभोक्ताओं को चार श्रेणी में बांटा गया है। गरीबी रेखा के नीचे, फुटपाथी दुकानों और धार्मिक स्थलों से कूड़ा उठाने के बदले यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। बड़े होटलों और बड़े अस्पतालों से कूड़ा उठाने के बदले हर माह दस हजार रुपए यूजर चार्ज लिया जाएगा। शहर की सूरत बदलने के लिए स्थायी समिति इस योजना को लागू करने का मन बना चुकी है। स्थायी समिति और निगम बोर्ड से स्वीकृति के बाद घरों से कूड़ा उठाने के लिए पीपीपी मोड पर ग्लोबल टेंडर किया जाएगा। ठोस कचरा प्रबंधन योजना की शर्तों के मुताबिक यूजर चार्ज लगाए बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

हिन्दुस्तान विशेष

29 जून को तय होगा यूजर चार्ज और जुर्माने का रेट, सशक्त स्थायी समिति में लाया जाएगा प्रस्ताव

यूजर चार्ज वसूलेगा नगर निगम

देश के कई शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन शुरू हो चुका है। पटना में भी इसे शीघ्र शुरू किया जाएगा। सेवा देने के बदले नगर निगम यूजर चार्ज लगा रहा है। 29 जून को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। **अफजल इमाम, मेयर**

उपभोक्ता की श्रेणी	यूजर चार्ज, प्रस्तावित मासिक शुल्क रुपए में			
श्रेणी 'क'	आवासीय घर (प्रति परिवार, फ्लैट, आवास) : 60 मलिन और गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी का आवास : 00	पांच सितारा होटल और इसके समतुल्य : 10000 व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान : 1000	अस्पताल 50 बेड से अधिक 10000	शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी, मेला : 5000
श्रेणी 'ख'	फुटपाथी दुकान : 00 ढाबा, मीठाई दुकान, कॉफी हाउस : 300 रेस्तरां, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होस्टल : 1000	श्रेणी 'ग' केवल गैर बायोमेडिकल क्लीनिक, डिसपेंसरी, लेबोरेट्री : 1000 अस्पताल, 50 बेड : 3000	श्रेणी 'घ' धार्मिक स्थल : 00 लघु और कुटीर उद्योग, वर्कशॉप, 10 कि.ग्रा. तक केवल गैर खतरनाक कूड़ा : 1000 गोदाम, कोल्ड स्टोरेज केवल गैर खतरनाक कूड़ा : 2000	नोट : छूटे हुए का नगर निगम के आकलन के मुताबिक जुर्माना आवासीय मकान 100 रुपए प्रति घटना भवन निर्माण सामग्री, मलवा, सड़क किनारे रखने पर : 1000 रुपए प्रति घटना और हटाने का खर्च जुर्माना नहीं जमा करने पर 15 फीसदी ब्याज